आलोचना करने का अधिकार

लेखक -मार्कंडेय काटजू (सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था)

द हिन्दू

10 अप्रैल, 2019

"राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद किशोरचंद्र वांगखेम को रिहा करने का मणिपुर उच्च न्यायालय का फैसला एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है।"

8 अप्रैल को दिए गये अपने फैसले में मणिपुर उच्च न्यायालय ने पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को रिहा करने का आदेश दे दिया है, जिन पर मुख्यमंत्री की आलोचना करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। यद्यपि याचिका को केवल तकनीकी आधार पर अनुमति दी गई थी कि हिरासत में रखने के आदेश में उल्लिखित कुछ सामग्री की आपूर्ति याचिकाकर्त्ता को नहीं की गई थी, लेकिन यह इस आधार पर भी सफल माना जा रहा है कि लोकतंत्र में लोगों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास (1950) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद-19 (1) (ए) को बरकरार रखा गया था।

हम सभी जानते हैं कि राजतंत्र में राजा सर्वोच्च होता है और प्रजा उसके अधीन होती है। लोकतंत्र में यह बिल्कुल उल्टा होता है अर्थात् यहाँ प्रजा सर्वोच्च होती है और राज्य के अधिकारी लोगों के सेवक होते हैं। केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार (1962) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की आलोचना तब तक देशद्रोह नहीं मानी जा सकती है जब तक कि इसका उपयोग हिंसा के लिए उकसाने या सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करने से संबंधित नहीं हो।

ब्रैंडेनबर्ग बनाम ओहियो (1969) मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 'आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई' परीक्षण को निर्धारित किया, जिसमें कहा गया है कि भाषण की स्वतंत्रता अमेरिकी संविधान में पहले संशोधन द्वारा तब तक सुरक्षित है जब तक कि यह आसन्न कानूनविहीन कार्रवाई को नहीं उकसाता है। इस फैसले के बाद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरूप भुयान बनाम स्टेट ऑफ असम (2011) मामले और श्री इंद्र दास बनाम स्टेट ऑफ असम (2011) मामले का पालन किया था और इसलिए यह भारत में भी एक कानून है। निश्चित रूप से श्री किशोरचंद्र के बयानों से सरकार के खिलाफ तत्काल हिंसा भड़कने की आशंका नहीं थी इसलिए उन्हें संविधान के अनुच्छेद-19 (1) (ए) द्वारा संरक्षित किया गया।

दुर्भाग्य से, भारत में अक्सर देखा गया है कि राजनीतिक कार्यकर्त्ता जल्द ही भड़क जाते हैं और आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिसके बाद वे अपने आलोचकों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप या निवारक निरोध कानूनों को अपनाते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के मामले में किया था या पश्चिम बंगाल सरकार ने जौनपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा या तमिलनाडु सरकार ने लोक गायक कोवन के मामले में किया था। समाज के गरीब या हाशिए पर स्थित लोगों के लिए बोलना विशेष रूप से खतरनाक हो गया है, जैसा कि भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने के आरोपियों के मामले में देखा गया था।

संविधान के भाग-III में लोगों के मौलिक अधिकारों को लागू करने और अदालतों को लोगों के अधिकारों का संरक्षक बनाकर, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को एक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य सौपां गया है। इसलिए इस संबंध में मणिपुर उच्च न्यायालय प्रशंसा का पात्र है (हालांकि, कईयों का कहना है कि अगर यह निर्णय पहले आ जाता तो याचिकाकर्त्ता को चार महीने की जेल की सजा नहीं भुगतनी पड़ती)। आशा है कि भारत की अन्य अदालतें भविष्य में इस तरह के मामले में इस उदाहरण का अनुसरण करेंगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट ने पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत को रद्द करते हुए उन्हें शीघ्र रिहा करने का आदेश दिया है।
- न्यायमूर्ति एल.जमीर और न्यायमूर्ति के.ए.च. नोबिन सिंह की पीठ ने पत्रकार को एनएसए के तहत हिरासत में लेने के आदेश को खारिज कर दिया।
- पिछले साल नवंबर में उन पर नेशनल सेक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

क्यों लगाया गया (NSA)?

- मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम ने पीएम नरेंद्र मोदी, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह और आरएसएस पर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था।
- इस वीडियो में इनकी आलोचना की गई थी।
- वीडियो अपलोड करने के बाद उन्हें NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया और अब हाई कोर्ट ने पत्रकार की रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं।

क्या है?

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को व्यक्ति को दोषी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।
- अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति उसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है।
- सरकार को यह लगे कि कोई व्यक्ति कानून-व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है।
- साथ ही, अगर उसे लगे कि वह व्यक्ति आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करवा सकती है।
- इस कानून के तहत जमाखोरों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस कानून का उपयोग जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है।

क्या है निवारक निरोध?

- 'निवारक निरोध', राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिये हिरासत में ले सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद-22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को 'निवारक निरोध' के तहत गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है तो उसे अनुच्छेद-22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त 'गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण' का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- किसी व्यक्ति को 'निवारक निरोध' के तहत केवल चार आधारों पर गिरफ्तार किया जा सकता है:

• राज्य की सुरक्षा।
• सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना।
• आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति और रखरखाव तथा रक्षा।
•विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा।

- निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद-19 तथा अनुच्छेद-21 के तहत प्रदान की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ प्राप्त नहीं होंगी।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **'राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**
   1. यह कानून केन्द्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है।
   2. इसका उपयोग जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. **'निवारक निरोध' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**
   1. यह राज्य को शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में ले सकता है।
   2. इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद-19 और 21 के द्वारा प्रदान की गयी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं होंगी।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और 2

1. **Consider the following statements in the context of National Security Act.**
   1. This law order the Central and State government to arrest.
   2. District Magistrate, Police Commissioner and State Government use it in their limited jurisdiction.

   Which of the above statement is/are correct?
   (a) Only 1 (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1, Nor 2

2. **Consider the following statements in the context of preventive detention.**
   1. It gives the power to state to arrest. any person from committing probable crime.
   2. The individual freedom provided under Article 19 and 21 will not be given to arrested person under this.

   Which of the above statement is/are correct?
   (a) Only 1 (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1, Nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक पार्टी की आलोचना करने पर गिरफ्तार करना क्या मौलिक अधिकार के साथ लोकतंत्र का भी हनन है? व्याख्या कीजिए। (250शब्द)

Q. Is arresting a person for criticising the political party in demorcratic country like, India violate the fundamental right as-well-as democracy? Explain. (250Words)

नोट : 9 अप्रैल को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।